न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 166/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00175)

1. भागसिंह पुत्र श्रीलाल
2. हेमसिंह पुत्र राजाराम
3. सहीराम पुत्र जौहरी
4. शीशराम पुत्र जंगली
5. शिवदयाल सिंह पुत्र चरणसिंह
6. महाराज सिंह पुत्र तेजाराम

समस्त जाति गुर्जर, निवासी खेडला बुजुर्ग, तहसील महुवा, जिला दौसा।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर दौसा।

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा निर्णय दिनांक 12.08.2016 जिसके तहत ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महुवा में स्थित गैर मुमकिन मरघट भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 1.07 है0 में से 0.25 है0 भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत मुसलिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु सेटअपार्ट कर गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :—

1. श्री विनोद कुमार विजय, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—11.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 12.08.2016 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी. पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 07.02.2017 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं0स0 महवा की मॉग एवं अनापत्ति के आधार पर तहसीलदार महवा ने अपने पत्र क्रमांक 1440 दिनांक 19.07.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी महवा ने अपने पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित राजकीय सिवायचक (किस्म गै0मु0 मरघट) भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 1.07 है0 में से 0.25 है० भूमि मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं0स0 महवा द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 17.02.2016 पारित कर अनापत्ति प्रदान की है।

   जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.08.2016 द्वारा ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं०स० महवा की अनापत्ति एवं मांग तथा तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(3) राज–6/2001/5 दिनांक 26.06.2013 एवं पत्र क्रमांक प.6(12)राज–6/92/21 दिनांक 23.12.93 में अंकित निर्देशों के परिपेक्ष्य में ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्थित राजकीय सिवायचक (किस्म गै0मु0 मरघट) भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 1.07 है0 में से 0.25 है० भूमि की किस्म गै0मु0 मरघट से खारिज की जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0मु0 कब्रिस्तान दर्ज किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रसारित किये गये।

3. जिला कलेक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 12.08.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट भागसिंह पुत्र श्रीलाल व अन्य ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.08.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट व आम जनता को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई विधिवत जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जॉच किये बिना व उक्त भूमि वेकेट लैण्ड नही होने के बावजूद भी व अन्य भूमि उपलब्ध होने बाबत सही जाँच किये बिना झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त आवंटन किया गया है। कानूनन जिन नियमों के तहत उक्त भूमि का मुसलिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु आवंटन किया गया है उन नियमों के तहत मुसलिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु आवंटन नही किया जा सकता था। मुसलिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु आवंटन के लिये अलग से नियम बने हुए है जिनकी अधीनस्थ न्यायालय ने पालना नहीं की है और जिन नियमों के तहत आवंटन किया गया है उन नियमों के तहत मुसलिम समुदाय वो कब्रिस्तान हेतु आवंटन करने का अधिकार नहीं होते हुए भी आवंटन करने में कानूनी गलती की है। उक्त भूमि हिन्दुओं व अपीलान्ट के लोगों की मृत्यु होने पर उनकी दाग संस्कार करने के काम में आती है एवं उक्त भूमि में हिन्दुओं के मरघट बने हुए है उक्त भूमि के चारों तरफ पुख्ता बाउण्डरी बनी हुई है अधीनस्थ न्यायालय ने इस किसी बात पर गौर नही करके और आवंटन करने में कानूनी गलती की है। कानूनन वेकेट लैण्ड भूमि का ही आवंटन किया जा सकता है उक्त भूमि वेकेट लैण्ड भूमि नही है इस बाबत जॉच किये बिना उक्त आवंटन को करने में कानूनी गलती की है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

निर्णय अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 12.08.2016 की अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलान्ट को बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये व बिना आम जनता को कोई सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना झूठी रिपोर्ट व पंचायत की एन ओ सी के आधार पर आवंटन किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी दिनांक 24.01.2017 को मुसलिम समुदाय के कुछ लोगों ने गाँव में धमकी दी कि हिन्दुओं के मरघट की भूमि से हमने मुसलिम समुदाय के कब्रिस्तान के लिये भूमि आवंटन करवा ली है इसलिये अब हिन्दु मुसलिम के मरघट एकसाथ रहेगें तथा हग भी हिन्दुओं के मरघट से ही जिन भी मुसलमान की मृत्यु होगी उनको वही दफनायेगें तो अपीलान्ट हेमसिंह ने उक्त लोगों से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उक्त लोगों ने कहा कि पंचायत का सरपंच हमारे पक्ष में था इसलिये हमने उसकी मिलीभगत से ऐसा करवा लिया है तब अपीलान्ट हेमसिंह ने पटवारी हल्का से तलाश किया तो पटवारी हल्का ने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बताया कि उक्त भूमि खसरा नंबर 1759 ग्राम खेडला बुजुर्ग जो कि हिन्दुओं के मरघट की भूमि है में से 0.25 है० भूमि मुसलिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु दिनांक 12.08.2016 को आवंटित हुई है अपीलान्ट हेमसिंह ने पटवारी से पूछा कि कैसे हुई तो पटवारी जी ने बताया कि जिला कलेक्टर दौसा के यहाँ जाओ और वहाँ से नकल निकलवाओं तब जानकारी होगी तो अपीलान्ट हेमसिंह दिनांक 25.01.2017 को अपीलान्ट हेमसिंह ने दौसा जिला कलेक्टर कार्यालय में आकर उक्त आवंटन आदेश को तलाश करवाकर और नकल हेतु आवेदन पेश करवाया जिस पर नकल तैयार होकर दिनांक 27.01.2017 को मिली तब सर्वप्रथम हेमसिंह को उक्त निर्णय की जानकारी हुई व हेमसिंह ने अन्य अपीलान्ट को बताया तब अन्य अपीलान्ट को जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी उक्त निर्णय अवैध अमान्य व प्रभावशून्य निर्णय है ऐसे निर्णय की अपील करने की कोई मयाद नही होती है फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से संलग्न है।

उक्त ग्राम खेडला बुजुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 1759 रकबा 1.07 है0 भूमि अपीलान्ट एवं अन्य ग्रामवासियों हिन्दुओं के मरघट की भूमि है तथा उक्त भूमि के चारों और बाउण्डरी बनी हुई है उक्त भूमि में अपीलान्ट के हित निहीत है। कानूनन हिन्दूओं के मरघट की भूमि में प्रत्येक हिन्दू व्यक्ति का हित निहीत होने के कारण उक्त निर्णय दिनांक 12.08.2016 से अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार है और अपीलान्ट उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार होने के कारण उक्त निर्णय के खिलाफ अपील पेश करना चाहते है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 12.08.2016 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.08.2016 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2016 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 24.01.2017 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं0स0 महवा की मॉग एवं अनापत्ति के आधार पर तहसीलदार महवा ने अपने पत्र क्रमांक 1440 दिनांक 19.07.2016 एवं उपखण्ड अधिकारी महवा ने अपने पत्र क्रमांक 1398 दिनांक 28.07.2016 के द्वारा ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित राजकीय सिवायचक (किस्म गै0मु0 मरघट) भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 1.07 है0 में से 0.25 है० भूमि मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। प्रस्तावित भूमि को उक्त प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं0स0 महवा द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव संख्या 11 दिनांक 17.02.2016 पारित कर अनापत्ति प्रदान की गयी।

जिस पर जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.08.2016 द्वारा ग्राम पंचायत खेडला बुजुर्ग पं०स० महवा की अनापत्ति एवं मांग तथा तहसीलदार (भूमिधारी) महवा व उपखण्ड अधिकारी महवा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(3) राज–6/2001/5 दिनांक 26.06.2013 एवं पत्र क्रमांक प.6(12)राज–6/92/21 दिनांक 23.12.93 में अंकित निर्देशों के परिपेक्ष्य में ग्राम खेडला बुजुर्ग तहसील महवा स्थित राजकीय सिवायचक (किस्म गै0मु0 मरघट) भूमि खसरा नम्बर 1759 रकबा 1.07 है0 में से 0.25 है० भूमि की किस्म गै0मु0 मरघट से खारिज की जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट किया जाकर गै0मु0 कब्रिस्तान दर्ज किये जाने के आदेश एतद् द्वारा प्रसारित किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2016 में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.08.2016 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 11.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर